233
3:40

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
संख्या–183 /XVIII-(2)/2015-16(01)/2007
देहरादून: दिनांक 15 जनवरी, 2015

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से सकंटग्रस्त विभिन्न ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन /पुनर्वास के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना तैयार किये जाने तथा संकटग्रस्त ग्रामों/परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु कार्ययोजना व रूपरेखा तैयार किये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त, जनपदों के अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति निम्नवत गठित की जाती है :–

1. अपर जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. जिला पंचायतराज अधिकारी – सदस्य
3. ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी – सदस्य
   (जिलाधिकारी द्वारा नामित)
4. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी – सदस्य/नोडल अधिकारी
   (जिस जनपद में आपदा प्रबन्धन अधिकारी तैनात नहीं है वहां आपदा प्रबन्धन का कार्य देख रहे अधिकारी)

उक्तानुसार गठित समिति शासन द्वारा वांछित प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना तथा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेगी।

DY-157 Da6 16/1/2015

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–183 ( )/XVIII-(2)/2015-16(01)/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखंण्ड।
7. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समस्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी आपदा, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।